**International Journal of Advanced Education and Research**
**ISSN: 2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34**
**www.alleducationjournal.com**
**Volume 1; Issue 7; July 2016; Page No. 97-98**

# लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका

**डॉ0 सुनीला एक्का**

सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र), शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ, भारत।

## प्रस्तावना

भारत एक प्रजातांत्रिक लोक–कल्याणकारी राष्ट्र है, तथा संविधान से शासित है तथा नागरिकों के दिलों में इसके लिए गौरवपूर्ण स्थान एवं सम्मान है। यह समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों के संरक्षण एवं कल्याण पर विशेष जोर देता है तथा संविधान के प्रावधानों में दी गई वैधानिक गारंटी के आधार पर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है। हम ऐसे युग में जी रहे है जिससे यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके मानवीय व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता के लिए अधिकृत है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। मीडिया लोकतंत्र की सजग एवं मजबूत प्रहरी है जिसके माध्यम से जन साधारण द्वारा अपनी इच्छाएं, विरोध, समर्थन तथा आलोचना को प्रकट किया जाता है। मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का प्रभावी मंच है। जन आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है, आईना है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ भी मीडिया की अवहेलना करने से डरता है। मीडिया जनता के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जनता द्वारा सरकार की त्रुटियों से संबंधित अपनी शिकायतों को मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19 (1) (क) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसकी स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। यह जनता एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह सरकार की योजनाओं एवं कार्यो को जनता तक और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।

भारत में जनता के अधिकारों के उल्लंघन की कई घटनाएं हमें दिखाई देती है, लेकिन इनमें से कुछ ही घटनाओं को पंजीकृत कराया जाता है। वर्तमान में बढ़ती साक्षरता तथा इस दिशा में लोगों में बढ़ती जागरूकता से शिकायतों को पंजीकृत कराने का कार्य अब अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इस दिशा में पढ़–लिखे और जागरूक लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला संगठनों, विभिन्न राजनैतिक दलों, जागरूक कार्यकर्ताओं एवं विशेषकर मीडिया के प्रयासों के फलस्वरूप आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा के अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है।

विश्व के सांसदों और राजनीतिज्ञों ने भी विभिन्न अवसरों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर बल देते हुए कहा कि सत्ता और राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें चुनाव में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए क्योंकि निरंतर बढ़ता हुआ चुनाव खर्च महिला उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजनीति में महिलाओं के आने से भ्रष्ट्राचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के अभाव से उत्पन्न मानव जाति को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। नारी शक्ति के समुचित सदुपयोग के लिए यह आवश्यक है कि राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भावी समाज की निर्मात्री आधार शीला है। इनके सक्रिय सहयोग के बिना समाज और राजनीति, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेगी।

सन् 1950 के दशक में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी 2 से 3 प्रतिशत के बीच थी। सन् 1985 में उन्होने 8 प्रतिशत भागीदारी को प्राप्त किया। सन् 1995 में उनकी भागीदारी 10 प्रतिशत हुई और वर्तमान में उन्होनें 20 से 25 प्रतिशत या उससे अधिक की भागीदारी की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। यह लोकतंत्र व मीडिया के प्रयासों का प्रभाव है कि राजनीति में आज जो महिला सक्रिय है उनमें युवा महिलाओं की संख्या अधिक है और राजनैतिक दलों के जो युवा संगठन हैं उनमें एक नयी जागृति, आत्मविश्वास व मीडिया की लगातार उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले श्लोगन, लेखों आदि से महिलाओं की भाागीदारी निरंतर बढ़ रही है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है।

आज कि स्थिति बड़ी विचित्र है आज बहुत से सांसद, विधायक, राजनीतिज्ञों ने जानबुझकर इस समस्या के निदान से बचना चाहते हैं कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। वे सब महिलाओं को संसद तथा विधानसभाओं में आरक्षण नहीं देना चाहते। बदलते हुए परिवेश में भी आज सामाजिक दृष्टि से देश में महिला वर्ग में जागृति आ चुकी है कि आज भारतीय समाज का पूर्ण बहुमत महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है। महिलाओं के राजनीति में सक्रिय भागीदारी के संबंध में मीडिया चैनलों एवं समाचार पत्रों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से भी जो परिणाम सामने आए हैं उसमें सकारात्मक परिणाम महिलाओं के पक्ष में आए हैं। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के प्रकाश में आधारगत यह आशा है कि आने वाले समय में महिलाओं को न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं में वरन् कार्यपालिका सहित निर्णयकारी प्रक्रिया से जुड़ी हुई प्रत्येक संस्था में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। समस्त व्यवस्था और राज्य व्यवस्था में महिलाए अपने लिये समानता और न्यायपूर्ण स्थान अवश्य ही प्राप्त कर लेंगी। यह मीडिया के प्रयासों का ही फल है कि महिलाओं में जागृति ओर शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिबद्धता उनकी यात्रा की, उनके लक्ष्य प्राप्त करने की गति को बढ़ाने में सहायक होंगी।

वर्तमान में मीडिया की सक्रियता बढ़ी मीडिया की बढ़ती सक्रियता उनकी तेजी से महानगरों से लेकर गावों तक की छोटी–बड़ी खबरों जोर शोर से उठाया जा रहा है। देश की सरकार सहीं दिशा में काम कर रही है या नहीं। इस पर मीडिया की पैनी एवं सूक्ष्म दृष्टि या निगरानी रहती है। पिछले दिनों में मीडिया ने भ्रष्ट्राचार, कालाधन एवं लगातार हो रहे घोटालों, आदर्श सोसायटी घोटाला, कोयला आबंटन घोटाला आदि मामलों में मीडिया ने सरकार की जमकर आलोचना की है इसके साथ–साथ मीडिया ने कई ऐसे मामलों को जिनमें प्रभावशाली लोगों के अतीत वाले मामलों को भी उठाया है जो दबा दिये गए थे इस क्रम में पीड़ितों को न्याय प्रदान करने में भरपूर प्रयास किये हैं जिसमें जेसिकालाल, आरूषि, हेमराज हत्याकांड, दिल्ली गैंगरेप मामले

आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा दिल्ली गैंगरेप मामले को मीडिया ने जोर–शोर से उठाया है।

मीडिया लोकतंत्र एवं मानव अधिकारों का सशक्त प्रहरी है, एक सशक्त रक्षक है जो देश में कानूनी व्यवस्था को बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखनें में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। एक ओर देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, आदि अनेक समस्याएं विद्यमान है जो देश को तोड़ने, विखण्डित करने में, एकता को खत्म करने के लिये निरंतर प्रयासरत् है इन समस्याओं से लड़ने मीडिया की भूमिका प्रभावी हो सकती है।

इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र एवं उत्तरदायी मीडिया की उपस्थिति बहुत आवश्यक है एवं मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वे कुशलतापूर्वक जनता व राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए।

## संदर्भ सूची


1. अंसारी एम0 ए0/महिला और मानव अधिकार
2. पाण्डेय डॉ0 जयनारायण/भारत का सविधान
3. नवभारत टाईम्स समाचार पत्र
4. रोजगार नियोजन